परिशिष्ट 'ख'

तुर्की गणराज्य की सरकार

तथा

भारत सरकार

के बीच

उनके अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच तथा उनसे आगे हवाई सेवाओं के लिए

समझौता

तुर्की गणराज्य की सरकार और भारत सरकार

जो 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोले गए 'अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय' के पक्षकार हैं:

और जो अपने-अपने क्षेत्रों के बीच और उनसे आगे हवाई सेवाएँ शुरू करने के उद्देश्य से, उक्त अभिसमय के पूरक के तौर पर एक समझौता करना चाहते हैं:

वे निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1 — परिभाषाएँ

इस समझौते के प्रयोजन हेतु, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क)पद "अभिसमय" से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय, जिसे दिनांक 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर हेतु खोला गया था, तथा इसमें उस कन्वेंशन के अनुच्छेद 90 के अधीन अंगीकृत कोई भी प्रावधान तथा उसके अनुच्छेद 90 एवं 94 के अधीन प्रावधानों अथवा कन्वेंशन का कोई भी संशोधन सम्मिलित है; जहाँ तक ऐसे अनुलग्नक एवं संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षकारों के लिए प्रभावी हो गए हों अथवा उनके द्वारा अनुसमर्थित किए गए हों;

(ख)पद "वैमानिकी प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, तुर्की गणराज्य की सरकार के मामले में, संचार मंत्री तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति या निकाय जो उक्त मंत्री द्वारा वर्तमान में प्रयोग किए जा सकने वाले किसी भी कृत्य अथवा समान कृत्यों का निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत हो; तथा भारत सरकार के मामले में, महानिदेशक, नागर विमानन तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति या निकाय जो उक्त प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रयोग किए जा सकने वाले किसी भी कृत्य का निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत हो;

(ग)पद "नामित एयरलाइन" से अभिप्रेत है ऐसी एयरलाइन जो इस समझौते के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित तथा प्राधिकृत की गई हो;

(घ)पद "राज्यक्षेत्र", किसी राज्य के संबंध में, वही अर्थ रखता है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में उसे दिया गया है;

(ङ)पद "हवाई सेवा", "अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा", "एयरलाइन" तथा "गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु स्टॉप" क्रमशः वही अर्थ रखते हैं जो कन्वेंशन के अनुच्छेद 96 में उन्हें दिए गए हैं;

(च)पद "क्षमता", किसी विमान के संबंध में, से अभिप्रेत है उस विमान का पे-लोड जो किसी मार्ग अथवा मार्ग के किसी खंड पर उपलब्ध हो;

(छ)पद "क्षमता", 'सहमत सेवा' के संबंध में, से अभिप्रेत है ऐसी सेवा पर प्रयुक्त विमान की क्षमता, जिसे ऐसे विमान द्वारा किसी दी गई अवधि तथा मार्ग या मार्ग के खंड पर प्रचालित आवृत्ति से गुणा किया गया हो; तथा

(ज)पद "यातायात" से अभिप्रेत है यात्रियों, सामान, कार्गो और/अथवा डाक का वहन।

अनुच्छेद 2 — अधिकारों का प्रदान

1.प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे संविदाकारी पक्षकार को, इस समझौते की मार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की स्थापना एवं प्रचालन के प्रयोजन हेतु, इस समझौते में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है। ऐसी सेवाएँ तथा मार्ग इसके पश्चात् क्रमशः "सहमत सेवाएँ" तथा "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहलाएँगे। प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन को, किसी विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवा का प्रचालन करते समय, निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

(क)दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर से बिना उतरे उड़ान भरना;

(ख)उक्त राज्यक्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु स्टॉप करना; तथा

(ग)वर्तमान समझौते की मार्ग अनुसूची में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट मार्गों पर किसी भी स्थान पर यात्रियों, कार्गो तथा डाक को चढ़ाना एवं उतारना।

2.इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) की कोई भी बात एक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन को यह विशेषाधिकार प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी कि वह दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में, पारिश्रमिक अथवा भाड़े पर वहन किए जाने वाले तथा उस दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य स्थान के लिए गंतव्य यात्रियों, कार्गो अथवा डाक को विमान पर चढ़ा सके।

अनुच्छेद 3 — एयरलाइनों का नामनिर्देशन

1.प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के प्रयोजन हेतु दूसरे संविदाकारी पक्षकार को लिखित रूप में एक एयरलाइन नामित करने का अधिकार होगा।

2.ऐसे नामनिर्देशन की प्राप्ति पर, दूसरा संविदाकारी पक्षकार, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) तथा (4) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नामित एयरलाइन को बिना विलंब के समुचित प्रचालन प्राधिकार प्रदान करेगा।

3.एक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उन्हें यह समाधान कराए कि वह ऐसी शर्तों को पूरा करने के लिए अर्हित है जो ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के प्रचालन पर अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप सामान्यतः एवं युक्तियुक्त रूप से लागू विधियों एवं विनियमों के अधीन विहित हैं।

4.प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट प्रचालन प्राधिकार प्रदान करने से इनकार करने का, अथवा किसी नामित एयरलाइन द्वारा इस समझौते के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें अधिरोपित करने का, जिन्हें वह आवश्यक समझे, अधिकार होगा, किसी भी ऐसे मामले में जहाँ उक्त संविदाकारी पक्षकार का यह समाधान न हो कि उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्षकार अथवा उसके नागरिकों में निहित है।

5.जब कोई एयरलाइन इस प्रकार नामित एवं प्राधिकृत कर दी जाती है, तो वह किसी भी समय सहमत सेवाओं का प्रचालन प्रारंभ कर सकती है, बशर्ते कि इस समझौते के अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित टैरिफ उस सेवा के संबंध में प्रवृत्त हो।

अनुच्छेद 4 — परिचालन प्राधिकार का प्रतिसंहरण अथवा निलंबन

1.प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन द्वारा इस समझौते के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग के संबंध में प्रचालन प्राधिकार का प्रतिसंहरण करने अथवा उसे निलंबित करने का, अथवा इन अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें अधिरोपित करने का, जिन्हें वह आवश्यक समझे, अधिकार होगा:

(क)किसी भी ऐसे मामले में जहाँ उसका यह समाधान न हो कि उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्षकार अथवा ऐसे संविदाकारी पक्षकार के नागरिकों में निहित है; अथवा

(ख)उस एयरलाइन द्वारा ये अधिकार प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्षकार की विधियों या विनियमों का अनुपालन करने में असफलता की दशा में; अथवा

(ग)उस दशा में जब एयरलाइन अन्यथा इस समझौते के अध्यधीन विहित शर्तों के अनुसार प्रचालन करने में असफल रहती है।

2.जब तक कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित तत्काल प्रतिसंहरण, निलंबन अथवा शर्तों का अधिरोपण विधियों या विनियमों के आगे और उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक न हो, ऐसे अधिकार का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्षकार के साथ परामर्श के पश्चात् ही किया जाएगा।

अनुच्छेद 5 — सीमाशुल्क तथा अन्य शुल्कों से छूट

1.किसी भी संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर प्रचालित विमान, साथ ही ईंधन, स्नेहक तेल, कल-पुर्जों, नियमित विमान उपकरण तथा विमान भंडारों (जिनमें खाद्य पदार्थ,

पेय एवं तंबाकू सम्मिलित हैं) की आपूर्तियाँ, जो दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में लाई गई हों अथवा उस राज्यक्षेत्र में विमान पर चढ़ाई गई हों तथा केवल उस एयरलाइन के विमान द्वारा या उसमें उपयोग हेतु अभिप्रेत हों, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में सीमाशुल्क, निरीक्षण फीस अथवा समान शुल्कों या प्रभारों से छूट प्राप्त होंगे, भले ही ऐसी आपूर्तियाँ ऐसे विमान द्वारा उस राज्यक्षेत्र में उड़ानों पर उपयोग की जाएँ।

2.ईंधन, स्नेहक तेल, कल-पुर्जों, नियमित विमान उपकरण तथा विमान भंडारों (जिनमें खाद्य पदार्थ, पेय एवं तंबाकू सम्मिलित हैं) की ऐसी आपूर्तियाँ, जो एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन के विमान पर रखी गई हों, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में सीमाशुल्क, निरीक्षण फीस अथवा समान शुल्कों या प्रभारों से छूट प्राप्त होंगी, भले ही ऐसी आपूर्तियाँ ऐसे विमान द्वारा उस राज्यक्षेत्र में उड़ानों पर उपयोग की जाएँ। इस प्रकार छूट प्राप्त माल केवल दूसरे संविदाकारी पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकेगा। ऐसा माल जो पुनर्निर्यात किया जाना है, सीमाशुल्क पर्यवेक्षण के अधीन पुनर्निर्यात होने तक बॉण्ड में रखा जाएगा।

3.ऐसे प्रभार, जो किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन पर उसके नियंत्रणाधीन विमानपत्तनों तथा अन्य सुविधाओं के उपयोग हेतु अधिरोपित किए जाएँ अथवा जिनका अधिरोपण अनुज्ञात किया जाए, उनसे अधिक नहीं होंगे जो ऐसे विमानपत्तनों एवं सुविधाओं के उपयोग हेतु उस संविदाकारी पक्षकार की समान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगी राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा दिए जाते।

अनुच्छेद 6 — विधियों एवं विनियमों की प्रयोज्यता

1.प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की विधियाँ एवं विनियम एक संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन के विमान के संचालन एवं प्रचालन पर, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश, वहाँ ठहराव, वहाँ से प्रस्थान तथा उसके ऊपर उड़ान के दौरान, लागू होंगे।

2.प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की ऐसी विधियाँ एवं विनियम, जो उसके राज्यक्षेत्र में यात्रियों, चालक दल तथा कार्गो के आगमन अथवा वहाँ से प्रस्थान से संबंधित हैं, और विशेष रूप से पासपोर्ट, सीमाशुल्क, मुद्रा तथा चिकित्सा एवं संगरोध औपचारिकताओं से संबंधित विनियम, एक संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन के विमान में आने अथवा वहाँ से प्रस्थान करने वाले यात्रियों, चालक दल तथा कार्गो पर लागू होंगे।

3.किसी भी संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र से होकर पारगमन में जाने वाले यात्री अत्यंत सरलीकृत नियंत्रण से अधिक किसी नियंत्रण के अधीन नहीं होंगे। सीधे पारगमन में सामान तथा कार्गो को सीमाशुल्क एवं अन्य समान करों से छूट प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 7 — सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1.दोनों संविदाकारी पक्षकारों की एयरलाइनों को अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन हेतु उचित एवं समान अवसर प्राप्त होगा।

2.सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन दूसरे संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन के हितों को ध्यान में रखेगी, ताकि उन सेवाओं पर अनुचित प्रभाव न पड़े जो बाद वाली उसी मार्ग के संपूर्ण भाग अथवा किसी भाग पर उपलब्ध कराती है।

3.संविदाकारी पक्षकारों की नामित एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहमत सेवाएँ विनिर्दिष्ट मार्गों पर जन-परिवहन की आवश्यकताओं से घनिष्ठ संबंध रखेंगी तथा उनका प्राथमिक उद्देश्य यह होगा कि युक्तियुक्त लोड फैक्टर पर ऐसी पर्याप्त क्षमता उपलब्ध कराई जाए जो एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र से उद्भूत अथवा उसके लिए गंतव्य यात्रियों तथा डाक सहित कार्गो के वहन की वर्तमान एवं युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

4.किसी भी संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन का यह अधिकार कि वह दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में स्थानों तथा विनिर्दिष्ट मार्गों पर तीसरे देशों के राज्यक्षेत्रों में स्थानों के बीच यातायात का वहन करे, उन सामान्य सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग किया जाएगा जिनके अनुसार क्षमता निम्नलिखित से संबंधित होगी:

(क)एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र को तथा उससे यातायात की अपेक्षाएँ;

(ख)उस क्षेत्र की यातायात अपेक्षाएँ जिससे होकर एयरलाइन गुजरती है, उस क्षेत्र को गठित करने वाले राज्यों की एयरलाइनों द्वारा स्थापित अन्य परिवहन सेवाओं को ध्यान में रखने के पश्चात्; तथा

(ग)थ्रू एयरलाइन प्रचालनों की अपेक्षाएँ।

इस पैराग्राफ के अधीन प्रदान किए जाने वाले किसी भी विशेषाधिकार का अंतिम रूप से अवधारण संविदाकारी पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

5.उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता तथा प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति पर, आरंभ में, सेवाओं के प्रारंभ से पूर्व संविदाकारी पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति होगी। इस प्रकार प्रारंभ में अवधारित क्षमता एवं सेवाओं की आवृत्ति की उक्त प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर समीक्षा एवं पुनरीक्षा की जा सकेगी।

अनुच्छेद 8 — समय-सारणियों का अनुमोदन

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन विनिर्दिष्ट मार्गों पर सेवाओं के प्रारंभ से कम से कम तीस (30) दिन पूर्व, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों को अनुमोदन हेतु उड़ान समय-सारणियाँ प्रस्तुत करेगी, जिनमें प्रयोग किए जाने वाले विमानों के प्रकार सम्मिलित होंगे। यही बात बाद के परिवर्तनों पर भी लागू होगी। विशेष मामलों में, उक्त प्राधिकारियों की सहमति के अधीन रहते हुए, यह समय-सीमा घटाई जा सकती है।

अनुच्छेद 9 — टैरिफ

1.निम्नलिखित पैराग्राफों के प्रयोजनों हेतु, पद "टैरिफ" से अभिप्रेत है यात्रियों तथा कार्गो के वहन के लिए दी जाने वाली कीमतें तथा वे शर्तें जिनके अधीन वे कीमतें लागू होती हैं, जिनमें एजेंसी तथा अन्य सहायक सेवाओं के लिए कीमतें एवं शर्तें सम्मिलित हैं, किंतु डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक एवं शर्तें इससे अपवर्जित हैं।

2.एक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र को अथवा उससे वहन के लिए प्रभारित किए जाने वाले टैरिफ युक्तियुक्त स्तरों पर स्थापित किए जाएँगे, जिसमें प्रचालन की

लागत, युक्तियुक्त लाभ तथा अन्य एयरलाइनों के टैरिफ सहित सभी सुसंगत कारकों पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा।

3.इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट टैरिफ, यदि संभव हो, तो दोनों संविदाकारी पक्षकारों की संबंधित नामित एयरलाइनों द्वारा, मार्ग के संपूर्ण भाग अथवा किसी भाग पर प्रचालनरत अन्य एयरलाइनों के साथ परामर्श के पश्चात्, सहमत किए जाएँगे, तथा ऐसी सहमति, जहाँ कहीं संभव हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ की प्रक्रियाओं के उपयोग द्वारा प्राप्त की जाएगी।

4.इस प्रकार सहमत टैरिफ उनके प्रवर्तन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम साठ (60) दिन पूर्व दोनों संविदाकारी पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएँगे। विशेष मामलों में, उक्त प्राधिकारियों की सहमति के अध्यधीन रहते हुए, यह अवधि घटाई जा सकती है।

5.यह अनुमोदन अभिव्यक्त रूप से दिया जा सकता है। यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अनुसार प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर किसी भी वैमानिकी प्राधिकारी ने अननुमोदन व्यक्त नहीं किया है, तो ये टैरिफ अनुमोदित माने जाएँगे। पैराग्राफ (4) में उपबंधित अनुसार प्रस्तुतीकरण की अवधि घटाए जाने की दशा में, वैमानिकी प्राधिकारी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि जिस अवधि के भीतर किसी अननुमोदन की सूचना दी जानी है, वह तीस (30) दिनों से कम होगी।

6.यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के अनुसार किसी टैरिफ पर सहमति नहीं हो पाती, अथवा यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (5) के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे वैमानिकी प्राधिकारी को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के प्रावधानों के अनुसार सहमत किसी टैरिफ के अननुमोदन की सूचना देता है, तो दोनों संविदाकारी पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा टैरिफ अवधारित करने का प्रयास करेंगे।

7.यदि वैमानिकी प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अधीन उन्हें प्रस्तुत किसी टैरिफ पर, अथवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (6) के अधीन किसी टैरिफ के अवधारण पर सहमत नहीं हो पाते, तो विवाद का निपटारा दोनों संविदाकारी पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से किया जाएगा।

8.इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार स्थापित टैरिफ तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि नया टैरिफ स्थापित न कर दिया जाए। तथापि, इस पैराग्राफ के आधार पर किसी टैरिफ को उस तिथि से, जिस तिथि को वह अन्यथा समाप्त हो जाता, बारह (12) मास से अधिक अवधि तक विस्तारित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 10 — सूचना का आदान-प्रदान

1.दोनों संविदाकारी पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारी, यथाशीघ्र, उन वर्तमान प्राधिकारों के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो उनकी अपनी-अपनी नामित एयरलाइन को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र को, उसके माध्यम से तथा उससे सेवा प्रदान करने हेतु विस्तारित किए गए हैं। इसमें विनिर्दिष्ट मार्गों पर सेवाओं हेतु वर्तमान प्रमाणपत्रों एवं प्राधिकारियों की प्रतियाँ, साथ ही संशोधन, छूट आदेश तथा प्राधिकृत सेवा प्रारूप सम्मिलित होंगे।

2.प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपनी नामित एयरलाइन से यह कराएगा कि वह दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों को, यथासाध्य पूर्व सूचना देते हुए, टैरिफों तथा समय-सारणियों की प्रतियाँ, जिनमें उनका कोई भी उपांतरण सम्मिलित है, तथा सहमत सेवाओं के प्रचालन से संबंधित अन्य सभी सुसंगत सूचना उपलब्ध कराए, जिसमें प्रत्येक विनिर्दिष्ट मार्ग पर उपलब्ध कराई गई क्षमता के बारे में सूचना तथा ऐसी कोई भी अन्य सूचना सम्मिलित है जो दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों को यह समाधान कराने हेतु अपेक्षित हो कि इस समझौते की अपेक्षाओं का सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

3.प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपनी नामित एयरलाइन से यह कराएगा कि वह दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों को सहमत सेवाओं पर वहन किए गए यातायात से संबंधित सांख्यिकी उपलब्ध कराए, जिसमें आरोहण एवं अवरोहण के स्थान दर्शाए गए हों।

अनुच्छेद 11 — आय का अंतरण

1.प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह प्रथम संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में अर्जित प्राप्तियों के व्यय से अधिक भाग को अपने प्रधान कार्यालय को विप्रेषित कर सके। तथापि, ऐसे विप्रेषण किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में तथा उस संविदाकारी पक्षकार के विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन रहते हुए एवं उनके अनुसार किए जाएँगे जिसके राज्यक्षेत्र में राजस्व प्रोद्भूत हुआ।

2.ऐसे अंतरण मुद्रा भुगतान हेतु सरकारी विनिमय दर के आधार पर किए जाएँगे, अथवा जहाँ कोई सरकारी विनिमय दर न हो, वहाँ मुद्रा भुगतान हेतु प्रचलित विदेशी मुद्रा बाज़ार दरों पर किए जाएँगे।

3.यदि दोनों संविदाकारी पक्षकारों के बीच भुगतानों के निपटान को शासित करने वाली विशेष व्यवस्थाएँ प्रवृत्त हैं, तो ऐसी व्यवस्थाओं के उपबंध इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अधीन निधियों के अंतरण पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 12 — परामर्श

1.घनिष्ठ सहयोग की भावना से, संविदाकारी पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारी इस समझौते तथा संलग्न अनुसूची के प्रावधानों के कार्यान्वयन एवं उनके संतोषजनक अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय-समय पर एक-दूसरे से परामर्श करेंगे, तथा जब आवश्यक हो, उनके उपांतरण एवं निर्वचन की व्यवस्था करने हेतु परामर्श करेंगे।

2.कोई भी संविदाकारी पक्षकार लिखित रूप में परामर्श का अनुरोध कर सकता है, जो अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर प्रारंभ होगा, जब तक कि दोनों संविदाकारी पक्षकार इस अवधि के विस्तार पर सहमत न हों।

अनुच्छेद 13 — विवादों का निपटारा

यदि वर्तमान समझौते के निर्वचन अथवा अनुप्रयोग से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संविदाकारी पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारी आपस में वार्ता द्वारा उसका निपटारा करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा न होने पर विवाद निपटारे हेतु संविदाकारी पक्षकारों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुच्छेद 14 — बहुपक्षीय अभिसमयों के अनुरूप अनुकूलन

हवाई परिवहन से संबंधित ऐसे किसी बहुपक्षीय अभिसमय अथवा समझौते के संपन्न होने की दशा में, जिसका दोनों संविदाकारी पक्षकार अनुपालन करते हों, इस समझौते को ऐसे अभिसमय अथवा समझौते के प्रावधानों के अनुरूप बनाने हेतु उपांतरित किया जाएगा।

अनुच्छेद 15 — संशोधन

1.यदि किसी भी संविदाकारी पक्षकार को इस समझौते के किसी प्रावधान का, जिसमें मार्ग अनुसूची भी सम्मिलित है — जो समझौते का भाग समझी जाएगी — उपांतरण करना वांछनीय प्रतीत होता है, तो वह इस समझौते के अनुच्छेद 12 के अनुसार परामर्श हेतु अनुरोध करेगा। ऐसे परामर्श संचार के आदान-प्रदान द्वारा हो सकते हैं।

2.संशोधन का अनुमोदन प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार द्वारा अपनी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा तथा वह तब प्रभावी होगा जब राजनयिक माध्यम से नोटों के आदान-प्रदान द्वारा उसकी पुष्टि कर दी जाए।

अनुच्छेद 16 — अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकरण

वर्तमान समझौते तथा इसमें किए गए कोई भी संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत किए जाएँगे।

अनुच्छेद 17 — निलंबन

कोई भी संविदाकारी पक्षकार, किसी भी समय, दूसरे संविदाकारी पक्षकार को इस समझौते को समाप्त करने के अपने विनिश्चय की सूचना दे सकता है; ऐसी सूचना साथ-ही-साथ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी संसूचित की जाएगी। ऐसी दशा में यह समझौता दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त होने की तिथि के बारह (12) मास पश्चात् समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति तिथि से पूर्व समाप्ति की सूचना समझौते द्वारा वापस न ले ली जाए। दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति के अभाव में, सूचना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त होने के चौदह (14) दिन पश्चात् प्राप्त हुई मानी जाएगी।

अनुच्छेद 18 — अनुलग्नक

इस समझौते के अनुलग्नक समझौते का भाग समझे जाएँगे तथा इस समझौते के प्रति सभी निर्देशों में अनुलग्नकों के प्रति निर्देश सम्मिलित होंगे, सिवाय जहाँ अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित हो।

अनुच्छेद 19 — शीर्षक

इस समझौते में प्रत्येक अनुच्छेद के शीर्ष पर शीर्षक केवल निर्देश एवं सुविधा के प्रयोजन हेतु अंतःस्थापित किए गए हैं तथा वे किसी भी प्रकार से इस समझौते के विस्तार अथवा आशय को परिभाषित, सीमित या वर्णित नहीं करते।

अनुलग्नक

खंड 1

भारत सरकार द्वारा नामित एयरलाइन इस खंड में विनिर्दिष्ट मार्गों पर दोनों दिशाओं में हवाई सेवाओं का प्रचालन करने तथा तुर्की के राज्यक्षेत्र में उसमें विनिर्दिष्ट स्थानों पर यातायात प्रयोजनों हेतु उतरने की हकदार होगी।

भारत में उद्गम स्थान	तुर्की में स्थान	तुर्की से आगे के स्थान
भारत में कोई भी स्थान	इस्तांबुल, अंकारा	यूरोप में दो स्थान, जिनमें यूनाइटेड किंगडम सम्मिलित है — विनिर्दिष्ट किए जाने हैं

खंड 2

तुर्की सरकार द्वारा नामित एयरलाइन इस खंड में विनिर्दिष्ट मार्गों पर दोनों दिशाओं में हवाई सेवाओं का प्रचालन करने तथा भारत के राज्यक्षेत्र में उसमें विनिर्दिष्ट स्थानों पर यातायात प्रयोजनों हेतु उतरने की हकदार होगी।

तुर्की में स्थान	भारत में स्थान	भारत से आगे के स्थान
तुर्की में कोई भी स्थान	दिल्ली, बंबई	सिंगापुर, तथा ऑस्ट्रेलिया या सुदूर पूर्व में एक स्थान — विनिर्दिष्ट किया जाना है

उपर्युक्त किसी भी मार्ग पर स्थानों को नामित एयरलाइन के विकल्प पर किसी भी अथवा सभी उड़ानों में छोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी सेवा का प्रारंभ स्थान एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में हो।

अनुच्छेद 20 — प्रवृत्त होना

इस समझौते का अनुमोदन प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के देश में संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा तथा यह हस्ताक्षर की तिथि से अस्थायी रूप से, और औपचारिक रूप से उस राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान की तिथि को प्रवृत्त होगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि ये अपेक्षाएँ पूरी कर ली गई हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी पूर्णाधिकारियों ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत होकर, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता दिनांक 10 अप्रैल, 1986 को नई दिल्ली में, अंग्रेज़ी भाषा में निष्पादित किया गया है।

हस्ताक्षरित

भारत सरकार की ओर से	तुर्की गणराज्य की सरकार की ओर से
(एस. एस. सिद्धू) सचिव नागर विमानन विभाग परिवहन मंत्रालय	(इहसान पेकेल) स्थायी अवर सचिव परिवहन एवं संचार मंत्रालय

समझौता ज्ञापन

भारत सरकार तथा तुर्की सरकार के प्रतिनिधिमंडल दोनों सरकारों के बीच हवाई सेवा समझौते के संपादन पर चर्चा हेतु दिनांक 7 एवं 8 अप्रैल 1986 को नई दिल्ली में मिले। वार्ता सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई।

2.दोनों प्रतिनिधिमंडलों की संरचना परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

3.दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने एक हवाई सेवा समझौता तथा उसके अनुलग्नक का पाठ तैयार कर उस पर हस्ताक्षर किए, जो परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।

4.दोनों प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत हुए कि समझौता तथा उसके अनुलग्नक का हस्ताक्षरित पाठ, अनुमोदन तथा उसे प्रवृत्त करने हेतु संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुसार उच्चतर प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा।

5.दोनों प्रतिनिधिमंडल आगे निम्नानुसार सहमत हुए:

(क)तुर्की सरकार द्वारा नामित एयरलाइन समझौते के अनुलग्नक के खंड 2 में विनिर्दिष्ट मार्ग पर ए-310 प्रकार के विमान द्वारा भारत को/भारत के माध्यम से प्रति सप्ताह दो सेवाएँ प्रचालित करने की हकदार होगी — एक सेवा दिल्ली को/दिल्ली के माध्यम से तथा एक सेवा बंबई को/बंबई के माध्यम से। यदि किसी अन्य प्रकार का विमान तैनात किया जाता है, तो उपयोग की जाने वाली क्षमता ए-310 की क्षमता तक ही निर्बंधित रहेगी।

(ख)भारत सरकार द्वारा नामित एयरलाइन समझौते के अनुलग्नक के खंड 1 में विनिर्दिष्ट मार्ग पर ए-310 प्रकार के विमान द्वारा तुर्की को/तुर्की के माध्यम से प्रति सप्ताह दो सेवाएँ प्रचालित करने की हकदार होगी। यदि किसी अन्य प्रकार का विमान तैनात किया जाता है, तो उपयोग की जाने वाली क्षमता ए-310 की क्षमता तक ही निर्बंधित रहेगी।

(ग)भारत अथवा तुर्की की नामित एयरलाइन इस समझौते के अधीन एकपक्षीय आधार पर प्रचालन प्रारंभ कर सकती है, जो भारत की नामित एयरलाइन तथा तुर्की की नामित एयरलाइन के बीच वाणिज्यिक समझौते के अधीन होगा, और ऐसा समझौता दोनों सरकारों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यह नोट किया गया कि दोनों नामित एयरलाइनों ने तुर्की की नामित एयरलाइन के प्रस्तावित एकपक्षीय प्रचालन के संबंध में 10 अप्रैल, 1986 को एक वाणिज्यिक समझौता संपन्न किया है, जिसे दोनों सरकारों द्वारा अनुमोदित किया गया।

(घ)जब भारत की नामित एयरलाइन तुर्की को प्रचालन प्रारंभ करेगी, तो दोनों सरकारें दोनों देशों की नामित एयरलाइनों को पारस्परिक आधार पर मध्यवर्ती पाँचवीं स्वतंत्रता के यातायात अधिकार प्रदान करने पर चर्चा करेंगी। तथापि, भारत की नामित एयरलाइन का तुर्की को प्रचालन दोनों सरकारों द्वारा मध्यवर्ती पाँचवीं स्वतंत्रता अधिकारों पर सहमति हो जाने के अध्यधीन नहीं होगा।

(ङ)दोनों प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत हुए कि तुर्की की नामित एयरलाइन द्वारा भारत को प्रचालन प्रारंभ करने की तिथि से छह मास पश्चात् दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते की समीक्षा की जाएगी।

(च)दोनों प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत हुए कि दोनों सरकारों द्वारा हवाई सेवा समझौता के अनुसमर्थन तक, ऊपर उपबंधित व्यवस्थाएँ आज से ही प्रभावी की जाएँगी।

निष्पादित नई दिल्ली में 10 अप्रैल 1986 को।

(एस. एस. सिद्धू)	(इहसान पेकेल)
भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता	तुर्की प्रतिनिधिमंडल के नेता

परिशिष्ट 'क'

दोनों प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों की सूची

तुर्की प्रतिनिधिमंडल

1.श्री इहसान पेकेल, स्थायी अवर सचिव, परिवहन एवं संचार मंत्रालय, तुर्की सरकार — नेता

2.श्री दरयाल बतीबाय, संयुक्त सचिव, समुद्री एवं हवाई मामले, विदेश मंत्रालय

3.श्री यिल्माज़ ओराल, महानिदेशक, तुर्किश एयरलाइंस

भारतीय प्रतिनिधिमंडल

1.डॉ. एस. एस. सिद्धू, सचिव, नागर विमानन विभाग, परिवहन मंत्रालय — नेता

2.एयर मार्शल सी. के. एस. राजे, महानिदेशक, नागर विमानन

3.श्री वी. पटनायक, संयुक्त सचिव, नागर विमानन विभाग, परिवहन मंत्रालय

4.श्री वी. के. ग्रोवर, तुर्की में भारत के राजदूत

5.डॉ. एस. भट्ट, निदेशक, विनियमन एवं सूचना, नागर विमानन महानिदेशालय कार्यालय

6.कैप्टन डी. बोस, प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया

7.श्री हरीश मलिक, वाणिज्यिक निदेशक, एयर इंडिया

8.श्री एस. के. दत्ता, उप निदेशक, आयोजना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एयर इंडिया